न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बइजलास– डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी, आई.ए.एस

राजस्व अपील संख्या –104/2019
जी.सी.एम.एस. नम्बर–2019/00148

अपीलाण्ट	बनाम	रेस्पोडेण्ट्स
कैलाश राम पुत्र भंवरूराम जाट, निवासी खेड़ाधुणा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार रियांबड़ी व जिला नागौर 2. कालूराम पुत्र भंवरूराम जाट, निवासी खेड़ाधुणा, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर

उपस्थितिः–

1. अपीलाण्ट की ओर से रमेश ढ़ाका।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या–1 की ओर से राजपैरोकार श्री कुन्दनसिंह आचीणा।

निर्णय दिनांक 28-12-2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 75 के तहत तहसीलदार रियांबड़ी द्वारा मुकदमा नम्बर 94/2019 अधीन धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 12.12.2019 को प्रस्तुत की गई। अपीलाण्ट की अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेण्टस् को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 अपीलान्ट का भाई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में अतिकमण के संबंध में अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट संख्या–2 को नोटिस जारी कर कार्यवाही की जाकर निर्णय जैर अपील पारित किया, जिसके विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है। इसलिए रेस्पोडेन्ट संख्या–2 प्रकरण में आवश्यक पक्षकार नहीं है।

वकील अपीलान्टस् ने अपनी बहस में कथन किया कि पटवारी हल्का जाटावास ने तहसीलदार रियांबड़री के समक्ष मौजा खेड़ाधूणा के खसरा नम्बर 359 के रकबे 0.09 है. किस्म गैर मुमकीन गौचर में मकान व बाड़ बनाकर नाजायज कब्जा करने की रिर्पोट की। जबकि, वास्तव में खसरा नम्बर 359 की भूमि कभी भी गौचर के उपयोग में नहीं आती रही है न ही उक्त भूमि पूर्व में गोचर थी, अपीलांट ने बाड़ा व मकान करके कभी कोई अतिक्रमण नहीं किया था और न ही निर्णय के वक्त था। ग्राम धुड़ाधुणा के कई लोग अपीलांट से सख्त अदावती रखते है व पटवारी हल्का को अपने प्रभाव में लेकर अपीलांट के विरूद्व उपरोक्त खसरा पर अतिक्रमण की मिथ्या रिपोर्ट करवाकर उसे तंग व परेशान करवा रहे है और उक्त गलत रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार रियांबड़ी ने बिना सत्यता की जांच किये ही खसरा नम्बर 359 पर अपीलांट का अतिक्रमण मानते हुये बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया, जो गलत पारित किया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट साक्ष्य, सबूत पेश करने का अवसर दिये बिना ही एवं अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना अधिनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का द्वारा पेश कि गई तथाकथित रिपोर्ट की सत्यता की जांच किये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित का दिया जो खारिज होने योग्य है।

अपीलांट का खसरा नम्बर 359 की रकबा 0.09 किस्म गोचर की भूमि पर किसी भी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं है और न ही कोई बाड़ व मकान उसमें बनाया हुआ है। न ही उक्त भूमि वर्तमान में गोचर के उपयोग में आ रही है। बल्कि खसरा नम्बर 359 के गत खसरा नम्बर 310 है। जो गैर मुमकीन आबादी में स्थित है। जो राजस्व रेकर्ड से साबित है इसके अलावा उक्त गैर मुमकीन आबादी भूमि में से अपीलांट के परदादा नाथाराम के नाम से ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:07:57 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

26.05.1963 को पट्टा जारी किया हुआ है जहां पर अपीलांट व उसके पूर्वज निवास करते रहे है तथा पक्का मकान बनाया हुआ है। उक्त तथ्यों की कोई जांच किये बिना ही अधिनस्थ न्यायालय ने आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो अपास्त होने योग्य है।

वर्तमान सेटलमेंट में गलत तरमीम के कारण सरपंच व गांव के राजनैतिक रंजिश रखने वाले लोगों की झूठी शिकायतों के आधार पर उनको संतुष्ट करने के लिये उक्त गलत व अवैध निर्णय पारित किया गया है जबकि उक्त जायगा पर अपीलांट के अलावा कम से कम 100 से अधिक लोगों के मकान व बाड़े बने हुये। यदि वास्तव में अतिक्रमण होता तो सभी लोगों के खिलाफ पटवारी हल्का कार्यवाही करता। किन्तु पटवारी हल्का की गलत रिपोर्ट को आधार बनाकर आदेश जैर अपील पारित किया है जो अवैध होने से अपास्त होने योग्य है।

अपीलांट एक गरीब काश्तकार है तथा मौके पर गत खसरा नम्बर 310 गैर मुमकिन आबादी में मकान व बाड़ा बनाया हुआ है जिसका ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा भी जारी किया हुआ है किन्तु अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों के संबंध में साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश जैर अपील पारित कर दिया जो निरस्त फरमाया जावें।

अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा इस प्रकरण में की गई जल्दबाजी से भी स्पष्ट है कि, तहसीलदार रियांबडी का अपीलांट को बेदखल करने का आदेश पारित करके, अपीलांट के विरोधीयों को संतुष्ट करने का आश्य रहा है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पक्षपातपूर्ण होने के कारण खारिज होने योग्य है।

उक्त प्रकरण में आदेश दिनांक 18.11.2019 को लिखवाया गया, किन्तु उक्त आदेश पर हस्ताक्षर दिनांक 28.11.2019 को किये जाते है। इससे भी उक्त निर्णय दूषित प्रतित होने का कथन करते हुए वकील अपीलान्ट ने तहसीलदार रियांबडी द्वारा मुकदमा नम्बर 94/19 में पारित निर्णय दिनांक 18.11.2019 को निरस्त फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार ने वकील अपीलान्ट की बहस का विरोध करते हुऐ कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त भूमि गोचर किस्म की सार्वजनिक उपयोग की तथा ऐसी गोचर भूमि का किसी प्रकार से आवंटन आदि नहीं किया जा सकता है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वाग्रस्त गोचर भूमि पर अतिकमण किया, जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्टतया साबित होने का कथन करते हुवे राजपैरोकार ने अपीलान्ट की अपील खारिज करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रकरण में पटवारी हल्का जाटावास की रिपोर्ट के अनुसार अपीलान्ट द्वारा ग्राम खेड़ाधूणावाला के खसरा नम्बर 359 की 0.09 किस्म गैर मुमकिन गोचर भूमि पर मकान व बाड़ लगाकर अपीलान्ट द्वारा अतिकमण किया गया है, जिस रिपोर्ट की भू अभिलेख निरीक्षक रियाबड़ी द्वारा दिनांक 21.08.2019 को जॉच की गई। जहां तक अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर नहीं करने को लेकर वकील अपीलान्ट का कथन है, तो उक्त संबंध में अपीलान्ट अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष स्वंय उपस्थित हुआ है एवं अधिनस्थ न्यायालय की आदेशिका में अपीलान्ट की उपस्थिति अंकित की हुई है तथा अपीलान्ट के हस्ताक्षर भी है। अपीलान्ट द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जबाब भी प्रस्तुत किया गया है, इसलिए यह नहीं माना जा सकता कि अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया हो। अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 18.11.2019 में स्पष्ट रूप अंकन है कि "गैर सायल ने अतिकमण करना स्वीकार किया" वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील में उक्त अंकन का खण्डन भी अपनी अपील में नहीं किया है। राजस्व रिकार्ड के अनुसार वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन गौचर किस्म की भूमि है, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के तहत आंवटन से प्रतिबंधित भूमि है। वकील अपीलान्ट ने ऐसी कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की है, जिससे यह साबित हो की वादग्रस्त गोचर भूमि पर अपीलान्ट का अतिकमण नहीं हो। वकील अपीलान्ट का कथन की वर्तमान सेटलमेन्ट में गलत तरमीम के कारण अधिनस्थ न्यायालय ने गलत निर्णय पारित किया है, तो उक्त संबंध में अपीलान्ट को सक्षम न्यायालय में चाराजोही करनी चाहिए। इस प्रकार अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्ट प्रस्तुत यह अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय जैर अपील यथावत रखा जाता है। अधिनस्थ न्यायालय को उनका मूल रिकार्ड मय निर्णय की प्रति पालनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:07:57 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर
कलक्टर, नागौर

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)